



पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित) कोनी – बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

www.pssou. ac.in Email- registrar @pssou.ac.in



क्रं. /मनो.वि./2026

दिनांक / /2026

// सूचना //

पण्डित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के पाठ्यक्रम बी. ए. (मनोविज्ञान) प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम वर्ष सत्र 2025-26 (जुलाई से जून) ए.टी.के.टी. (ATKT) के वे विद्यार्थी जिन्होंने विश्वविद्यालय में ए.टी.के.टी हेतु ऑनलाईन आवेदन किया हैं को सूचित किया जाता है कि आपकी 05 दिवसीय सैद्धांतिक/प्रायोगिक विषय की सम्पर्क कक्षाएं निम्न सारणी अनुसार आयोजित की गई हैं, अतः उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

क्र.	क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र	आयोजित संपर्क कक्षा की तिथि	समय	प्रायोगिक परीक्षा की प्रस्तावित तिथि
1.बी. ए. प्रथम वर्ष	समस्त क्षेत्रीय केन्द्र	08/09/2026 से 12/09/2026 तक	प्रातः 11.30 से दोपः 01.30 तक	12/09/2025 प्रातः 11.00 से दोपः सांय 04.00 बजे तक
2. बी. ए. द्वितीय वर्ष			दोपः 02.00 से शाम 03.30 तक	
3. बी. ए. अंतिम वर्ष			दोपः 03.30 से शाम 05.00 तक	

संपर्क कक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा का स्थान— मनोविज्ञान विभाग, सिहावा अकादमिक भवन, पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय कोनी, बिरकोना मार्ग, बिलासपुर छत्तीसगढ़।

- नोट :-01. सभी दिवस की संपर्क कक्षा में समस्त विद्यार्थी अपनी उपस्थिति के अनुसार ही शामिल हो।
02. प्रायोगिक कार्य को निर्धारित तिथि के अंदर कार्यालय जमा करें।
03. जो शिक्षार्थी सभी दिनों की सम्पर्क कक्षा में उपस्थित रहे हैं तथा जिन्होंने निर्धारित प्रारूप में अपना प्रायोगिक कार्य जमा कर दिया है वे ही प्रायोगिक परीक्षा में बैठ सकेंगे

विभागाध्यक्ष
मनोविज्ञान
विभाग

क्रं. 1306 /मनो.वि./2026
प्रतिलिपि :

दिनांक 31/08/2026.

1. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव महोदय जी के सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय निदेशक को सूचनार्थ।
4. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
5. समस्त क्षेत्रीय समन्वयक/अध्ययन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- ✓ 6. वेब सेल प्रभारी को इस सूचना के साथ इसे वि.वि. के वेबसाईट पर अपलोड करें।
7. विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सहायता प्रकोष्ठ में सूचनार्थ।
8. छात्रवास प्रभारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचना।
9. कार्यालय प्रति।



विभागाध्यक्ष